**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1388**

**दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ**

**विषय: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग**

**1388. श्री चंद्र शेखर साहू:**
**डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडेः**
**श्री विनोद लखमशी चावड़ाः**
**श्री राहुल रमेश शेवालेः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों से आगामी रबी मौसम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को 20 प्रतिशत तक कम करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों विशेषकर ओडिशा में किसानों द्वारा कितने प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया;

(घ) क्या देश में रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए किसानों के पास विकल्प उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विकल्पों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में विशेष रूप से ओडिशा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में किसानों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सूचना/शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति/उपलब्धि हुई है?

**<u>उत्तर</u>**

**<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)</u>**

(क) : संतुलित एवं विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने पर उर्वरकों की मृदा की उर्वरता पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ स्थितियों में मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के साथ-साथ जैविक खादों के कम उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है।

भारत सरकार रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए 4आर दृष्टिकोण अर्थात सही मात्रा, सही समय, सही पद्धति और सही प्रकार के उर्वरक के साथ पौधों के

पोषक तत्वों के अजैविक और जैविक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, इन-सीटू फसल अवशेष रीसाइक्लिंग आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रही है। इसके अलावा, स्पिलिट एप्लिकेशन, नीम लेपित यूरिया सहित धीमी गति से निकलने वाले उर्वरकों के उपयोग और फलियां वाली फसलें उगाने का भी समर्थन किया जाता है। इसी प्रकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति (आरसी) उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के बाद देश में उपयोग के लिए कीटनाशकों को पंजीकृत करती है। यदि पंजीकृत कीटनाशकों का उपयोग पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल पत्रक के अनुसार किया जाता है तो वे मानव स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

(ख) : भारत सरकार मृदा परीक्षण आधारित अनुशंसा पर उर्वरक के उपयोग की अवधारणा का समर्थन करती है। वैसे भी भारत सरकार ने किसानों से उर्वरक और कीटनाशकों में 20 प्रतिशत तक की कटौती करने का आग्रह नहीं किया है।

(ग) : पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022-23 के दौरान ओडिशा सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा उपयोग किए गए रासायनिक उर्वरकों का प्रतिशत अनुबंध । में दिया गया है।

(घ) और (ड.): भारत सरकार पोषक तत्वों के वैकल्पिक स्रोत जैव उर्वरक, जैविक उर्वरक को बढ़ावा दे रही है।

भारत सरकार किसानों द्वारा जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, इन योजनाओं का विवरण निम्न है:

i. किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट समृद्ध जैविक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए संपीड़ित बायो गैस संयंत्रों को बाजार विकास सहायता (एमडीए): बजट घोषणा और सिफारिशों के आधार पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी। एमडीए के तहत 1,500 रूपए/एमटी की दर से सहायता, जो केवल अम्ब्रेला गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित खाद के लिए दी जाएगी, जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न बायोगैस/सीबीजी समर्थन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि एमओपीएनजी की सस्टेनेबल आल्टरनेटिव टूवर्डस एफोरडेबल ट्रांसपोटेशन (एसएटीएटी) योजना, एमएनआरई के कार्यक्रम 'वेस्ट टू एनर्जी', डीडीडब्ल्यूएस का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), आदि जिसका कुल परिव्यय 1,451.84 करोड़ रूपए (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) है, जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रूपए का कोष शामिल है।"

ii. पीएम-प्रणाम योजना: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में "पीएम प्रोग्राम फोर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलीओरेशन ऑफ मदर-अर्थ (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करके मदर-अर्थ के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाना है। पीएम-प्रणाम योजना तीन वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) की अवधि के लिए प्रचलानात्मक है।

उक्त योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के माध्यम से एक विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उर्वरक सब्सिडी का 50% बचाया जाएगा, अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाएगा।

सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान करने की उम्मीद की जाती है जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी।

iii. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर): भारत सरकार वर्ष 2015-16 से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित योजनाएं अर्थात परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत, किसानों को जैविक आदानों का उपयोग करके जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और योजनाएं किसानों को शुरू से अंत तक यानी जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान करती हैं। किसानों को जैविक उर्वरकों के खेत पर उत्पादन और इसके उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देना इन योजनाओं के अभिन्न अंग हैं। किसानों को विभिन्न जैविक आदानों के लिए पीकेवीवाई के तहत 31000 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 32500 रुपये/हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 684.84 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

iv. आईसीएआर ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों की उन्नत और कुशल किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा, फर्टिलाइजरस के स्पि**लिट एपलिकेशन** और प्लेसमेंट, धीमी गति से जारी करने वाले एन-उर्वरक और नाइट्रीकरण अवरोधकों का उपयोग, फलियां वाली फसलें उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग का भी समर्थन किया जाता है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी देता है, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), आईसीएआर और 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों आदि में स्थित 36 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी) के माध्यम से किसान फील्ड स्कूल **(अनुबंध-II)** दो/पांच दिवसीय एचआरडी प्रोग्रामर **(अनुबंध-III),** किसान गोष्ठी, आईपीएम प्रदर्शनियां और बीज उपचार अभियान **(अनुबंध-IV)** जैसे विभिन्न प्रशिक्षण प्रोग्रामर आयोजित करता है जहां किसानों, कीटनाशक डीलरों/राज्य कृषि पदाधिकारियों के बीच अंतिम उपाय के रूप में कीट प्रबंधन के लिए रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों और वनस्पति फॉर्मूलेशन के उपयोग, रासायनिक कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है (आरसी द्वारा अनुमोदित खुराक और लेबल दावा निर्देशों के अनुसार)।

इसके अलावा, सीआईपीएमसी की जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाएं विभिन्न जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों जैसे मेटारिज़ियम, ब्यूवेरिया, स्यूडोमोनास, बैसिलस, ट्राइकोडर्मास्प, इसारियाफ्यूमोसोरोसिया; ट्राइकोग्रामा एसपीपी., चिलोनसब्लैकबर्नी, रेडुविड बग, राइनोकोरिस्मार्गिनैटस, क्राइसोपरलाज़ास्ट्रोविसिलेमी, क्रिप्टोलेमस मॉन्ट्रोज़ेरी, गोनियोज़ुस्नेफैंटिडिस, साइकेनसकोलारिस, स्यूडोमल्लाडा एस्टूर का उत्पादन करती हैं और विभिन्न कीटों और रोगजनकों के प्रबंधन के लिए उन्हें खेत में छोड़ देती हैं।

साथ ही, भारत सरकार ने जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैव कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा सरलीकृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। जैव-कीटनाशकों के लिए, कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9(3बी) के तहत अनंतिम पंजीकरण दिए जा रहे हैं, साथ ही आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएआईएम) और केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला (सीआईएल) से उत्पाद की गुणवत्ता के सत्यापन से स्ट्रेन की मोलिक्यूलर पहचान की पुष्टि के आधार पर दो साल की अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान व्यावसायीकरण की अनुमति भी दी जा रही है।

**लो.स.अता.प्र.सं.1388**

**अनुबंध I**

## पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यवार उर्वरक खपत

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल उर्वरक खपत ('000 मीट्रिक टन में) | | पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिशत वृद्धि/कमी |
|---|---|---|---|
| | 2021-22 | 2022-23 | |
| आंध्र प्रदेश | 3623.42 | 3717.70 | 2.60 |
| तेलंगाना | 3537.77 | 3678.48 | 3.98 |
| कर्नाटक | 4561.49 | 4330.14 | -5.07 |
| केरल | 337.34 | 316.52 | -6.17 |
| तमिलनाडु | 2431.65 | 2258.50 | -7.12 |
| पुदुचेरी | 25.19 | 26.37 | 4.68 |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.06 | 0.72 | 1100.00 |
| लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गुजरात | 3657.59 | 3859.13 | 5.51 |
| मध्य प्रदेश | 5970.17 | 6178.41 | 3.49 |
| छत्तीसगढ़ | 1613.37 | 1592.08 | -1.32 |
| महाराष्ट्र | 7018.73 | 6454.93 | -8.03 |
| राजस्थान | 3661.79 | 3993.62 | 9.06 |
| गोवा | 5.37 | 5.18 | -3.54 |
| दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दादर एवं नगर हवेली | 0.74 | 0.98 | 32.43 |
| हरियाणा | 2887.60 | 2813.20 | -2.58 |
| पंजाब | 4153.23 | 3910.47 | -5.85 |
| उत्तर प्रदेश | 10638.14 | 10778.50 | 1.32 |
| उत्तराखंड | 281.11 | 283.42 | 0.82 |
| हिमाचल प्रदेश | 100.60 | 118.49 | 17.78 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 231.03 | 225.08 | -2.58 |
| दिल्ली | 29.98 | 33.14 | 10.54 |
| चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बिहार | 3367.07 | 3435.83 | 2.04 |
| झारखंड | 401.56 | 387.66 | -3.46 |
| ओडिशा | 1172.57 | 1100.46 | -6.15 |
| पश्चिम बंगाल | 3272.64 | 3447.79 | 5.35 |
| असम | 598.87 | 581.48 | -2.90 |
| त्रिपुरा | 40.51 | 45.62 | 12.61 |
| मणिपुर | 23.01 | 50.28 | 118.51 |
| मेघालय | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| नागालैंड | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| मिजोरम | 1.25 | 11.49 | 819.20 |
| सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अखिल भारत | 63644.37 | 63637.11 | -0.01 |

**लो.स.अता.प्र.सं.1388**

**अनुबंध-II**

## वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सीआईपीएमसी द्वारा आयोजित किसान फील्ड स्कूल का विवरण

| क्र. सं. | राज्य | सीआईपीएमसी | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | एफएफएस की संख्या | प्रशिक्षित किसानों की संख्या |
| 1 | हरियाणा | फरीदाबाद | 21 | 630 | 16 | 480 | 14 | 490 | 11 | 385 | 5 | 175 | 67 | 2160 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | सोलन | 23 | 690 | 10 | 300 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 51 | 1620 |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 23 | 690 | 7 | 210 | 6 | 210 | 6 | 210 | 2 | 70 | 44 | 1390 |
| 4 | | श्रीनगर | 8 | 240 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 11 | 345 |
| 5 | पंजाब | जालंधर | 24 | 720 | 12 | 360 | 10 | 350 | 7 | 245 | 3 | 105 | 56 | 1780 |
| 6 | राजस्थान | श्रीगंगानगर | 20 | 600 | 11 | 330 | 10 | 350 | 7 | 245 | 2 | 70 | 50 | 1595 |
| 7 | | जयपुर | 28 | 840 | 6 | 180 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 52 | 1650 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 40 | 1200 | 21 | 630 | 19 | 665 | 12 | 420 | 5 | 175 | 97 | 3090 |
| 9 | | गोरखपुर | 24 | 720 | 12 | 360 | 8 | 280 | 6 | 210 | 3 | 105 | 53 | 1675 |
| 10 | | आगरा | 30 | 900 | 9 | 270 | 8 | 280 | 6 | 210 | 2 | 70 | 55 | 1730 |
| 11 | उत्तराखंड | देहरादून | 32 | 960 | 10 | 300 | 8 | 280 | 6 | 210 | 3 | 105 | 59 | 1855 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 40 | 1200 | 16 | 480 | 14 | 490 | 11 | 385 | 5 | 175 | 86 | 2730 |
| 13 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 12 | 360 | 9 | 270 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 39 | 1260 |
| 14 | बिहार | पटना | 27 | 810 | 12 | 360 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 57 | 1800 |
| 15 | झारखंड | रांची | 12 | 360 | 9 | 270 | 5 | 175 | 5 | 175 | 3 | 105 | 34 | 1085 |
| 16 | अण्डमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 15 | 450 | 2 | 60 | 3 | 105 | 4 | 140 | 2 | 70 | 26 | 825 |
| 17 | असम | गुवाहाटी | 35 | 1050 | 16 | 480 | 15 | 525 | 11 | 385 | 5 | 175 | 82 | 2615 |
| 18 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 12 | 360 | 4 | 120 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 26 | 830 |
| 19 | मेघालय | शिलांग | 20 | 600 | 6 | 180 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 36 | 1130 |
| 20 | मणिपुर | इंफाल | 20 | 600 | 9 | 270 | 4 | 140 | 0 | 0 | 1 | 35 | 34 | 1045 |
| 21 | मिजोरम | आइजोल | 12 | 360 | 6 | 180 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 28 | 890 |
| 22 | नागालैंड | दीमापुर | 12 | 360 | 6 | 180 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 28 | 890 |
| 23 | त्रिपुरा | अगरतला | 12 | 360 | 6 | 180 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 28 | 890 |
| 24 | सिक्किम | गंगटोक | 8 | 240 | 6 | 180 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 24 | 770 |
| 25 | कर्नाटक | बैंगलोर | 35 | 1050 | 21 | 630 | 16 | 560 | 11 | 385 | 5 | 175 | 88 | 2800 |
| 26 | तेलंगाना | हैदराबाद | 20 | 600 | 12 | 360 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 50 | 1590 |
| 27 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 20 | 600 | 12 | 360 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 50 | 1590 |
| 28 | केरल | एर्नाकुलम | 24 | 720 | 12 | 360 | 7 | 245 | 7 | 245 | 3 | 105 | 53 | 1675 |
| 29 | तमिलनाडु | त्रिची | 16 | 480 | 10 | 300 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 44 | 1410 |
| 30 | महाराष्ट्र | नागपुर | 24 | 720 | 20 | 600 | 16 | 560 | 11 | 385 | 5 | 175 | 76 | 2440 |
| 31 | | नासिक | 24 | 720 | 8 | 240 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 50 | 1590 |
| 32 | मध्य प्रदेश | इंदौर | 12 | 360 | 12 | 360 | 8 | 280 | 7 | 245 | 3 | 105 | 42 | 1350 |
| 33 | | मुरैना | | | | | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 70 | 10 | 350 |
| 34 | गुजरात | वडोदरा | 11 | 330 | 12 | 360 | 5 | 175 | 6 | 210 | 2 | 70 | 36 | 1145 |
| 35 | छत्तीसगढ | रायपुर | 8 | 240 | 8 | 240 | 8 | 280 | 7 | 245 | 2 | 105 | 33 | 1110 |
| 36 | गोवा | मडगांव | 8 | 240 | 3 | 90 | 5 | 175 | 4 | 140 | 3 | 70 | 23 | 715 |
| **कुल** | | | **712** | **21360** | **351** | **10530** | **282** | **9870** | **230** | **8050** | **103** | **3605** | 1678 | 53415 |

लो.स.अता.प्र.सं.1388

**अनुबंध-III**

## वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सीआईपीएमसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का विवरण

| क्र.सं. | राज्य | सीआईपीएमसी | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-2024 | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या | 2 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित किसानों की संख्या |
| 1 | हरियाणा | फरीदाबाद | 4 | 160 | 0 | 0 | 7 | 400 | 6 | 302 | 2 | 119 | 19 | 981 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | सोलन | 4 | 160 | 1 | 40 | 2 | 131 | 2 | 104 | 1 | 60 | 10 | 495 |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 3 | 106 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 100 | 1 | 55 | 8 | 351 |
| 4 | | श्रीनगर | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 53 | 1 | 42 | 1 | 55 | 5 | 230 |
| 5 | पंजाब | जालंधर | 4 | 140 | 1 | 40 | 6 | 423 | 4 | 238 | 1 | 53 | 16 | 894 |
| 6 | राजस्थान | श्रीगंगानगर | 4 | 160 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3 | 145 | 1 | 51 | 9 | 421 |
| 7 | | जयपुर | 4 | 160 | 1 | 40 | 2 | 114 | 4 | 190 | 2 | 168 | 12 | 672 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 4 | 241 | 0 | 0 | 5 | 264 | 7 | 303 | 2 | 112 | 18 | 920 |
| 9 | | गोरखपुर | 4 | 170 | 1 | 40 | 2 | 90 | 3 | 184 | 1 | 69 | 11 | 553 |
| 10 | | आगरा | 2 | 160 | 1 | 40 | 1 | 55 | 2 | 102 | 1 | 55 | 7 | 412 |
| 11 | उत्तराखंड | देहरादून | 4 | 160 | 1 | 40 | 2 | 112 | 3 | 137 | 1 | 51 | 11 | 500 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 4 | 160 | 1 | 40 | 4 | 167 | 6 | 252 | 2 | 112 | 17 | 731 |
| 13 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 3 | 120 | 1 | 40 | 3 | 122 | 3 | 174 | 2 | 106 | 12 | 562 |
| 14 | बिहार | पटना | 3 | 160 | 1 | 40 | 3 | 92 | 4 | 211 | 2 | 118 | 13 | 621 |
| 15 | झारखंड | रांची | 4 | 105 | 1 | 40 | 1 | 58 | 3 | 134 | 1 | 48 | 10 | 385 |
| 16 | अण्डमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 1 | 43 | 2 | 80 | 1 | 56 | 2 | 121 | 1 | 40 | 8 | 340 |
| 17 | असम | गुवाहाटी | 3 | 165 | 0 | 0 | 4 | 162 | 6 | 316 | 2 | 105 | 15 | 748 |
| 18 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2 | 102 | 1 | 50 | 5 | 192 |
| 19 | मेघालय | शिलांग | 2 | 118 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 80 | 1 | 49 | 7 | 337 |
| 20 | मणिपुर | इंफाल | 4 | 120 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 100 | 1 | 53 | 9 | 353 |
| 21 | मिजोरम | आइजोल | 1 | 53 | 1 | 40 | 1 | 62 | 2 | 121 | 1 | 60 | 6 | 336 |
| 22 | नागालैंड | दीमापुर | 2 | 58 | 1 | 40 | 1 | 56 | 2 | 108 | 1 | 45 | 7 | 307 |
| 23 | त्रिपुरा | अगरतला | 1 | 49 | 1 | 40 | 1 | 50 | 2 | 85 | 1 | 40 | 6 | 264 |
| 24 | सिक्किम | गंगटोक | 2 | 80 | 1 | 40 | 1 | 60 | 2 | 120 | 1 | 51 | 7 | 351 |
| 25 | कर्नाटक | बैंगलोर | 4 | 160 | 0 | 0 | 4 | 226 | 6 | 320 | 2 | 123 | 16 | 829 |
| 26 | तेलंगाना | हैदराबाद | 4 | 160 | 1 | 40 | 3 | 193 | 3 | 222 | 1 | 63 | 12 | 678 |
| 27 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | 4 | 160 | 1 | 40 | 2 | 167 | 3 | 222 | 2 | 113 | 12 | 702 |
| 28 | केरल | एर्नाकुलम | 4 | 109 | 1 | 40 | 1 | 54 | 2 | 110 | 1 | 50 | 9 | 363 |
| 29 | तमिलनाडु | त्रिची | 2 | 80 | 1 | 40 | 2 | 90 | 3 | 134 | 2 | 109 | 10 | 453 |
| 30 | महाराष्ट्र | नागपुर | 2 | 160 | 0 | 0 | 4 | 301 | 6 | 524 | 2 | 118 | 14 | 1103 |
| 31 | | नासिक | 2 | 100 | 1 | 40 | 1 | 68 | 3 | 210 | 2 | 118 | 9 | 536 |
| 32 | मध्य प्रदेश | इंदौर | 4 | 99 | 1 | 40 | 2 | 96 | 4 | 201 | 1 | 42 | 12 | 478 |
| 33 | | मुरैना | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2 | 124 | 1 | 60 | 4 | 239 |
| 34 | गुजरात | वडोदरा | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 95 | 3 | 161 | 1 | 70 | 8 | 406 |
| 35 | छत्तीसगढ | रायपुर | 3 | 119 | 2 | 80 | 2 | 131 | 3 | 176 | 2 | 105 | 12 | 611 |
| 36 | गोवा | मडगांव | 2 | 45 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 83 | 1 | 70 | 7 | 278 |
| **कुल** | | | **101** | **4120** | **28** | **1120** | **80** | **4368** | **115** | **6258** | **49** | **2731** | **373** | **18632** |

## वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सीआईपीएमसी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का विवरण

| क्र.सं. | राज्य | सीआईपीएमसी | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या | 5 दिनों की एचआरडी की सं. | प्रशिक्षित एईओ की संख्या |
| 1 | हरियाणा | फरीदाबाद | - | - | 1 | 40 | - | - | 1 | 40 | - | - | 2 | 80 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | सोलन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | | श्रीनगर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | पंजाब | जालंधर | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 6 | राजस्थान | श्रीगंगानगर | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 7 | | जयपुर | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 2 | 80 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 1 | 40 | 1 | 40 | - | | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 160 |
| 9 | | गोरखपुर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | | आगरा* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11 | उत्तराखंड | देहरादून | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 | 40 | - | - | - | - | 1 | 40 | - | - | 2 | 80 |
| 13 | ओडिशा | भुवनेश्वर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14 | बिहार | पटना | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 15 | झारखंड | रांची | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 16 | अण्डमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 | असम | गुवाहाटी | 1 | 40 | 1 | 40 | - | - | 1 | 40 | - | - | 3 | 120 |
| 18 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 19 | मेघालय | शिलांग | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 20 | मणिपुर | इंफाल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21 | मिजोरम | आइजोल | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22 | नागालैंड | दीमापुर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23 | त्रिपुरा | अगरतला | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24 | सिक्किम | गंगटोक | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 25 | कर्नाटक | बैंगलुरु | - | - | 1 | 40 | - | - | 1 | 40 | - | - | 2 | 80 |
| 26 | तेलंगाना | हैदराबाद | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 27 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28 | केरल | एर्नाकुलम | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 29 | तमिलनाडु | त्रिची | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 |
| 30 | महाराष्ट्र | नागपुर | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 46 | - | - | 3 | 126 |
| 31 | | नासिक | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 32 | मध्य प्रदेश | इंदौर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | | मुरैना | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | गुजरात | वडोदरा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | गोवा | मडगांव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | छत्तीसगढ | रायपुर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | | | **11** | **440** | **5** | **200** | **0** | **0** | **6** | **246** | **5** | **200** | **22** | **886** |

**अनुबंध-IV**

## 2019-20 से 2023-24 तक सीआईपीएमसी द्वारा संचालित बीज उपचार अभियान कार्यक्रमों का विवरण

| क्र.सं. | राज्य | सीआईपीएमसी | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या | बीज उपचार अभियानों की संख्या | भागीदार किसानों की संख्या |
| 1 | हरियाणा | फरीदाबाद | 28 | 985 | 17 | 600 | 20 | 903 | 11 | 385 | 2 | 68 | 78 | 2941 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | सोलन | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 42 | 2 | 29 | 6 | 120 |
| 3 | जम्मू एवं कश्मीर | जम्मू | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 4 | | श्रीनगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 5 | पंजाब | जालंधर | 28 | 1084 | 13 | 535 | 20 | 1459 | 19 | 1315 | 7 | 153 | 87 | 4546 |
| 6 | राजस्थान | श्रीगंगानगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 5 | 220 | 4 | 132 | 14 | 519 |
| 7 | | जयपुर* | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 325 | 7 | 182 | 8 | 1066 | 26 | 1573 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 40 | 1144 | 21 | 895 | 26 | 780 | *12* | *300* | 10 | 286 | 109 | 3405 |
| 9 | | गोरखपुर | 59 | 1688 | 38 | 1155 | 28 | 943 | 25 | 803 | 6 | 152 | 156 | 4741 |
| 10 | | आगरा* | 20 | 700 | 12 | 375 | 18 | 322 | 17 | 298 | 6 | 56 | 73 | 1751 |
| 11 | उत्तराखंड | देहरादून | 30 | 1050 | 10 | 300 | 10 | 319 | 6 | 172 | 2 | 45 | 58 | 1886 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 41 | 1435 | 17 | 600 | 17 | 610 | 18 | 665 | 8 | 117 | 101 | 3427 |
| 13 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 0 | 1820 | 0 | 665 | 2 | 1050 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 3850 |
| 14 | बिहार | पटना | 26 | 910 | 12 | 420 | 33 | 889 | 21 | 450 | 14 | 267 | 106 | 2936 |
| 15 | झारखंड | रांची | 14 | 492 | 18 | 430 | 21 | 398 | 22 | 393 | 22 | 336 | 97 | 2049 |
| 16 | अण्डमान और निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 1 | 30 | 0 | 0 | 3 | 90 | 2 | 60 | 0 | 0 | 6 | 180 |
| 17 | असम | गुवाहाटी | 36 | 1260 | 16 | 560 | 17 | 573 | 11 | 385 | 5 | 104 | 85 | 2882 |
| 18 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मेघालय | शिलांग | 22 | 770 | 6 | 210 | 4 | 140 | 4 | 140 | 1 | 50 | 37 | 1310 |
| 20 | मणिपुर | इंफाल | 24 | 468 | 9 | 173 | 5 | 173 | 2 | 100 | 1 | 25 | 41 | 939 |
| 21 | मिजोरम | आइजोल | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4 | 86 |
| 22 | नागालैंड | दीमापुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | 70 | 2 | 70 | 7 | 175 |
| 23 | त्रिपुरा | अगरतला | 10 | 350 | 7 | 250 | 4 | 140 | 4 | 140 | 1 | 21 | 26 | 901 |
| 24 | सिक्किम | गंगटोक | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 60 |
| 25 | कर्नाटक | बैंगलोर | 37 | 1220 | 21 | 848 | 16 | 560 | 11 | 385 | 1 | 40 | 86 | 3053 |
| 26 | तेलंगाना | हैदराबाद | 20 | 600 | 12 | 360 | 11 | 329 | 7 | 210 | 0 | 0 | 50 | 1499 |
| 27 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा* | 25 | 830 | 13 | 406 | 10 | 379 | 10 | 439 | 1 | 31 | 59 | 2085 |
| 28 | केरल | एर्नाकुलम | 0 | 0 | 4 | 120 | 8 | 150 | 2 | 62 | 3 | 59 | 17 | 391 |
| 29 | तमिलनाडु | त्रिची | 16 | 480 | 10 | 300 | 13 | 429 | 12 | 410 | 3 | 93 | 54 | 1712 |
| 30 | महाराष्ट्र | नागपुर | 14 | 490 | 3 | 105 | 36 | 2098 | 18 | 1740 | 2 | 51 | 73 | 4484 |
| 31 | | नासिक* | 20 | 653 | 8 | 251 | 10 | 314 | 7 | 210 | 3 | 112 | 48 | 1540 |
| 32 | मध्य प्रदेश | इंदौर | 12 | 460 | 12 | 470 | 12 | 398 | 7 | 266 | 3 | 83 | 46 | 1677 |
| 33 | | मुरैना | | | | | | | | | 2 | 17 | 2 | 17 |
| 34 | गुजरात | वडोदरा | 9 | 300 | 10 | 310 | 3 | 100 | 4 | 120 | 1 | 26 | 27 | 856 |
| 35 | गोवा | मडगांव | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 36 | छत्तीसगढ | रायपुर | 12 | 368 | 8 | 284 | 8 | 283 | 7 | 141 | 3 | 64 | 38 | 1140 |
| **कुल** | | | **544** | **19587** | **297** | **10622** | **383** | **14675** | **278** | **10445** | **124** | **3583** | **1626** | **58912** |

******